प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 जून, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वाजिद पुत्र श्री दिलशेर, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-30967/प्रो0अनु0(2)-303/2025(बैठक दिनांक 28.07.2025),दिनांक 01.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वाजिद पुत्र श्री दिलशेर, पीठापुर मजरे-कुम्भी आइमा, थाना-उदयपुर, जनपद-प्रतापगढ़ का निवासी है। दिनांक 08.06.1999 को नईम ने अभियुक्त से अपनी दीवार गिराने से मना किये जाने के कारण जान से मारने की नियत से अभियुक्त ने 11 सहभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं डन्डों से नईम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं नईम को बचाने आये लियाकत, अलताफ व इस्लाम सहित कुल 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-420/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302, 307 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०-02, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 09.10.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 03.05.2023 तक बंदी द्वारा अपरिहार 23 वर्ष, 10 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 03 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 03.05.2023 को बंदी की आयु लगभग 40 वर्ष है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.08.2004 के प्रस्तर-(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। (2) बंदी पुनः अपराध कर सकता है (3) बन्दी पुन: अपराध करने में सशक्त है। (4) बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध करने की सार्थक प्रयोजन है। (5) बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 08.06.1999 को नईन ने अभियुक्त से अपनी दीवार गिराने से मना किये जाने के कारण जान से मारने की नियत से अभियुक्त ने 11 सअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं डन्डों से नईम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं नईम को बचाने आये लियाकत, अलताफ व इस्लाम सहित कुल 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का बातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाजिद पुत्र दिलशेर को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वाजिद (बन्दी सं0-17212) पुत्र श्री दिलशेर, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-780/2026/1553(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।